न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/261

1. रविन्द्र कुमार आत्मज मांगीराम जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल फार्म बडानयागावं तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. जयदीप पुत्र रविन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल फार्म बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. देविका अग्रवाल पुत्री रविन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल फार्म बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

——अपीलान्टगण

बनाम

1. हरदीप सिंह आत्मज सतनाम सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सरदारों का टपरा बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. सिमरनकौर पुत्री सतनाम सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सरदारों का टपरा बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. गुरमीतकौर पुत्री सतनाम सिंह जाति जट सिक्ख निवासी सरदारों का टपरा बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. सतनाम सिंह आत्मज बहादुरसिंह जाति जट सिक्ख निवासी सरदारों का टपरा बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. कुलवन्तसिंह आत्मज बहादुरसिंह जाति जट सिक्ख निवासी सरदारों का टपरा बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. सरबजीतसिंह आत्मज जसवन्तसिंह जाति जट सिक्ख निवासी सरदारों का टपरा बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. दलजीतसिंह आत्मज जसवन्तसिंह जाति जट सिक्ख निवासी सरदारों का टपरा बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. किरणजीतकौर पुत्री बहादुरसिंह जाति जट सिक्ख निवासी सरदारों का टपरा बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
9. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी
10. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक हिण्डोली जिला बून्दी

——रेस्पोडेन्टगण

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2024/261

रविन्द्र कुमार बनाम हरदीप सिंह, सरकार

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री प्रेमशंकर गूर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 25.02.2024**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 61/2024 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता सं 241 खसरा सं 943 रकबा 0.0728, खसरा सं 944 रकबा 0.0243, खसरा सं 945 रकबा 0.0809 है० खसरा सं 948 रकबा 0.0809 है० खसरा से 949 रकबा 0.0324 है० खसरा सं 950 रकबा 1.4569 है० खसरा सं 951 रकबा 0.2671, खसरा सं 952 रकबा 0.3076 है० खसरा सं 953 रकबा 0.2671 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.5900 है० वाके ग्राम बडानयागॉव पटवार हल्का बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो कि वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2076 से 2079 मे खातेदार के स्थान पर जयदीप आ० रविन्द्र कुमार हिस्सा 1/4, रविन्द्र कुमार आ० मांगीराम हिस्सा 1/2 तथा रीना पत्नी रविन्द्र कुमार हिस्सा 1/4 साकिन देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के दादा बहादुर सिंह के पिता दर्शन सिंह आ० चैतसिह को आवंटित हुई थी। जिसके बन्दोबस्त से पूर्व पुराने खसरा सं 42/1 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं 352 रकबा 35 बीघा खसरा सं 353 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 95 बीघा 5 बिस्वा थे। दर्शन सिंह फोज मे हवलदार थे इस कारण उनको उक्त भूमि आवटित हुई थी। दर्शन सिह पूर्व में अमृतसर पंजाब में रहते थे। जो बाद मे बडानयागांव में आकर बस गये थे। दर्शन सिंह की जाति मजहबी सिक्ख थी जो उनके सर्विस प्रमाण पत्र में भी लिखी हुई है। मजहबी सिक्ख जो कि अनुसूचित जाति मे आते है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के दादा बहादुर सिंह का 1/2 हिस्सा निहित था। बहादुर सिंह शराब एंव नशे का आदि था जो घर का भी खर्चा नही चलाता था। गांव के व्यक्तियो से रूपये उधार लेकर शराब ने खर्च कर देता था। तथा बहादुर सिंह टक डाइवर है जो अक्सर बाहर रहता है घर पर महीना पन्द्रह दिन मे घर आता जाता है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार है। प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से को प्रार्थीगण के दादा बहादुर सिंह आ० दर्शन सिंह ने पुष्पा बाई पत्नी खेमा गुर्जर निवासी बडनयागाँव को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा वैचान कर दिया जबकि धारा 42 राज० टी० एक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को अनुसुचित जाति का व्यक्ति ही क्रय एंव हस्तान्तरण कर

सकता है केता पुष्पा बाई ओ० बी० सी० अन्य पिछडा वर्ग में आती है इस प्रकार उक्त भूमि का हस्तान्तरण कानून अवैध एंव शून्य है। उक्त अवैध एंव शून्य हस्तान्तरण से केता को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नही होते है। इस अवैध हस्तान्तरण से राजस्व रिकार्ड में केता के खाते भी दर्ज कर दी गई हो तो भी उक्त प्रविष्टी अवैध एंव शून्य होने से निरस्त होने योग्य है। इस अवैध वैचान से खातेदार विक्रेता के अधिकारो पर कोई प्रभाव नही पडेगा। अवैध एंव शून्य विक्रय पत्र को निरस्त कराया जाना आवश्यक नहीं है। बहादुर सिंह के शराब के आदि होने एंव अनपढ हाने का नाजायज फायदा उठाकर केता एंव राजस्व कर्मचारियो ने मिलिभगत करके बहादुर सिंह के मजहबी सिक्ख होने कि जानकारी होने के बाउजूद जानबूझ कर बहादुर सिंह की जाति जमाबंदी मे पंजाबी अंकित होने का फायदा उठाकर गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि का वैचान अपने नाम करवा लिया। जबकि बहादुर सिंह का जाति प्रमाण पत्र भी मजहबी सिक्ख का बना हुआ है। तथा बहादुर सिंह के पिता दर्शन सिंह के सेवा प्रमाण पत्र मे भी मजहबी सिक्ख लिखा हुआ है। अप्रार्थी पुष्पा बाई ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अप्रार्थी रविन्द्र कुमार आ० मांगीराम को वैचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण सं 2499 दिनांक 21.6.2012 द्वारा रविन्द्र कुमार का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। अप्रार्थी पुष्पा बाई एंव रविन्द्र कुमार के नाम प्रार्थना पत्र की चरण कम 1 मे वर्णित भूमि के बाबत् खोले गये नामान्तरण एंव राजस्व रिकार्ड मे खातेदार के रूप में अपना नाम दर्ज कराने की प्रविष्टी कानून अवैध एंव शून्य है। तथा उक्त अवैध विक्रय पत्र एंव नामान्तकरण के आधार पर खातेदार के रूप में की गई प्रविष्टी निरस्त होने योग्य है। उक्त अवैध विक्रय पत्र एंव नामान्तकरण से अप्रार्थी पुष्पा बाई एंव रविन्द्र कुमार को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थीना पत्र की चरण कम 2 मे वर्णित पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से अधिकार होने से अपने हिस्से की भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करावें। तथा भूमि का बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अपना अलग खाता कायम करवायें। तथा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करावें की वो प्रार्थना की चरण कम 2 में वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे न तो स्वयं दखल करें नही अन्य से करावें। एंव प्रार्थना पत्र की चरण कम 2 मे वर्णित भूमि को रहन बैचान, भारग्रस्त व खुर्द बूर्द नही करें तथा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन नही करें। वाद विचारण मे विलम्ब होने की संभवना। है अप्रार्थी रविन्द्र कुमार एंव उसके प्रतिनिधि वादविषयक भूमि को रहन बैचान एंव भारग्रस्त एंव अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है। यदि अप्रार्थी द्वारा वादगस्त भूमि को दोराने वाद रहन वैचान, भारग्रस्त एंव राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सभव नही होगी। ओर प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि से महरूम होना पडेगा। ओर प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा। तथा वाद बहुलता बढेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के पांबद किया जावे की वह दौराने वाद प्रार्थना पत्र की चरण कम 2 में वर्णित भूमि को रहन, बैचान एंव भारग्रस्त नही करे तथा राजस्व रिकार्ड मे

कोई परिवर्तन नही करें।अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो वादी गण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को अपीलांटगण को वादग्रस्त भूमि के रहन बय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गइ।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वस्तुस्थिति के सर्वथा विपरीत होने तथा उसमे वाकयाती त्रुटि होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ही नही दिया कि उक्त्त वादग्रस्त भूमियां अपीलाण्ट कम 1 रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 25–05–2012 को 1/2 हिस्सा एव अपीलाण्ट कम 2 जयदीप तथा रीना पत्नि रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 29–05–2014 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्रो से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है और भूमियो के रिकॉर्डेड खातेदार है और भूमियो पर काबिज है जिसको स्वयं रेस्पोडेंट भी स्वीकार करते है और कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन चलने योग्य नही है ऐसी स्थिति मे रिकॉर्डेड खातेदार एवं कब्जेधारी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी सूरत में निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती लेकिन आश्चर्य है कि मूल प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के उपरान्त भी और पत्रावली प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा०दी० तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नि० 4 जा०दी० की सुनवाई हेतु लम्बित होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट को भूमियों को रहन, बय नही करने से पाबंद करने बाबत आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। स्वयं प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमियां कुल किता 9 कुल रकबा 2.5900 है० भूमि वाके ग्राम बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो दर्शनसिंह पुत्र चेतसिंह को आवंटित हुई है जिसमें अपीलाण्ट का जन्म से ही हक व अधिकार होना भी अभिकथित किया है और यह भी कथन किया है कि उनके दादा मजहबी सिक्ख है। जबकि उक्त दर्शनसिंह के पुत्र मिलकसिंह एवं बहादुरसिंह हैं। और उक्त भूमि मे मिलकसिंह का 1/2 हिस्सा एव बहादुरसिंह का 1/2 हिस्सा निहित है। मिलकसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र जयदीप पुत्र रविन्द्र कुमार अपीलांट एवं रीना पत्नि रविन्द्र कुमार ने भूमियो में निहित उसका 1/2 हिस्सा खरीद किया हुआ है तथा बहादुरसिंह से उसका

1/2 हिस्सा पुष्पाबाई पत्नि खेमा जाति गुर्जर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया हुआ है जिससे उसका 1/2 हिस्सा रविन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हुआ है और वादी प्राथी द्वारा भूमियो के बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवारा एवं बेदखली का वाद भी पेश किया हुआ है ऐसी स्थिति मे वादी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 ने जानबूझकर मिलकसिंह एवं बहादुरसिंह को उक्त बाद में पक्षकार ही नही बनाया है जबकि उक्त मिलकसिंह एवं बहादुरसिंह दोनो जीवित है तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेंट 1 लगायत 3 के पिता सतनामसिंह भी जीवित है ऐसी स्थिति मे दादा व पिता के जीवित रहते हुये पौते–पौतियो का कानूनन कोई अधिकार ही सृजित नही होता है फिर भी सब परिस्थितियो को नजरअंदाज करते हुए रिकॉर्डेड एवं कब्जाधारी खातेदारान को रहन, बय इत्यादि निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जो निरस्तनीय है। प्रार्थीगण रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह प्रकट किया है कि उसके दादा दर्शनसिंह मजहबी सिक्ख है और सर्विस बुक इत्यादि मे भी मजहबी सिक्ख ही अंकित है जो अनुसूचित जाति से संबंधित है और किसी भी रूप में भूमि हस्तान्तरण नही हो सकती जबकि ऐसा कतई नहीं है। प्रार्थीगण रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 उसके पिता, दादा एव इनके समस्त पारिवारिक सदस्य तथा इनके रिश्तेदार सब ही जट सिक्ख है और इसी अनुरूप रजिस्टर्ड विकय पत्र निष्पादित करते समय भी विक्रेता बहादुरसिंह एवं मिलकसिंह द्वारा जमाबंदी में अंकित जाति पंजाबी को स्पष्टीकृत करते हुये शपथपत्र प्रस्तुत कर उसमे अपनी जाति जट सिक्ख होना अंकित किया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा अभिकथित कथन स्वयं ही झूठे साबित होते है लेकिन फिर भी उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र दिनांक 14–05–2024 को सरिस्ते रिपोर्ट के साथ पेश होने के उपरान्त निरन्तर पेशियां पडती रही लेकिन कभी भी प्रार्थीगण के पक्ष मे स्थगन आदेश पारित नही किया गया और स्वयं अपीलांट अप्रार्थीगण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत कर दिया गया और प्रकरण प्रार्थना पत्र धारा 151 जा०दी० तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नि० 4 जा०दी० में सुनवाई हेतु लम्बित था और उसमे किसी भी प्रकार से न तो बहस टी०आई० होनी थी और उक्त प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई होनी थी फिर भी बिना बहस सुने ही स्थगन आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 द्वारा अपीलाधीन भूमियो में निहित अपने दादा बहादुरसिंह के 1/2 हिस्से बाबत ही सम्पूर्ण अभिकथन किए है और कालान्तर मे उक्त 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट रविन्द्र कुमार द्वारा खरीद किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने मिलकसिंह से अपीलाण्ट जयदीप एवं उसकी माता रीना द्वारा खरीद किया गया 1/4–1/4 हिस्सा की भूमियो बाबत भी स्थगन आदेश जारी कर दिया जबकि उक्त भूमियो बाबत प्रार्थीगण की ऐसी कोई मांग ही नही है और उक्त आदेश पारित होने से अपीलाण्ट अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमियो से वंचित होने की कगार पर आ गए है और ऐसा आदेश निरस्त होने योग्य है। रीना पत्नि रविन्द्र कुमार की मृत्यु हो चुकी है और अपीलाण्ट रविन्द्र कुमार उसका पति, अपीलाण्ट जयदीप उसका पुत्र एवं अपीलाण्ट देविका अग्रवाल उसकी पुत्री है और विधिक वारिसान हैं इसलिए देविका अग्रवाल को अपीलाण्ट के रूप मे पक्षकार बनाया गया है। उक्त रीना सहित अपीलाण्ट ने प्रतिफल राशि अदा कर भूमि खरीद की हुई है और काबिज है और

(10)

अपील संख्या 2024/261
रविन्द्र कुमार बनाम हरदीप सिंह, सरकार

अपीलाण्ट सद्‌भाविक केता है जिनका कोई दोष नही है और रेस्पोडेट द्वारा अपीलाण्ट सहित रीना के पक्ष मे निष्पादित किए गए रजिस्टर्ड विकय पत्रो को किसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है और न ही शून्य घोषित किया गया है ऐसी स्थिति मे सद्‌भाविक केता के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है और आदेश निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण द्वारा अपीलांट व रीना के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड विकय पत्रो को न तो निरस्त करवाया है और न शून्य घोषित करवाये है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है और न ही अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है और वैसे भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को केवल दीवानी न्यायालय द्वारा ही निरस्त अथवा शून्य घोषित कानून किया जा सकता है तथा रेस्पोडेंट प्रार्थीगण द्वारा आज दिन तक अपीलांट के हक मे तस्दीक किये गये नामान्तरण की भी किसी भी न्यायालय में अपील इत्यादि प्रस्तुत नही की गई है और न ही नामान्तरण को खारिज किया गया है लेकिन आश्चर्य है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बातो पर गौर ही नही किया और उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 वादी प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमियो में पैतृक सम्पत्ति का कथन करते हुये अधिकार घोषणा वास्ते उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा न तो पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया गया है और न ही जीवित उसके दादा बहादुरसिह को पक्षकार बनाया गया है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट ने मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध भी उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका तात्पर्य यही है कि रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 को उक्त वादग्रस्त भूमियो के संबंध मे वास्तविक स्थिति का ज्ञान नही है और संपूर्ण तथ्य मिथ्या अभिकथित करते हुए अभिवचनित किये है और आदेश निरस्तनीय है। अपीलांट अपीलाधीन भूमियो के खातेदार काश्तकार है और उन्होने प्रतिफल राशि अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो से वर्ष 2012 एवं वर्ष 2014 में खरीद की हुई है। उक्त आदेश प्रभावी होने से अपीलाण्ट के हितो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है और यदि उक्त आदेश को निरस्त नही किया गया तो अपीलाण्ट अपनी कयशुदा भूमियो से वचित हो जायेंगे जिससे अपीलाण्ट को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य मे किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी तथा रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया भी साबित नही है और न ही सुविधा संतुलन का बिन्दु उनके पक्ष मे है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। अपीलांटगण सद्‌भावी केता है। प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विकय–पत्रों को आज तक अवैध घोषित नहीं करवाया गया है। विकय–पत्रों के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई अपील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2024 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सी.पी.सी. निर्णित होना मानकर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विकय–पत्र द्वारा केताओं के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के दादा बहादुर सिंह के पिता दर्शनसिंह की आवंटनशुदा भूमि है। वादग्रस्त भूमि दर्शनसिंह को फौज में होने के कारण आवंटित हुई है। दर्शन सिंह मजहबी सिक्ख जाति के व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति में आती है। दर्शनसिंह के जाति प्रमाण पत्र में मजहबी सिक्ख लिखा हुआ है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के दादा बहादुर सिंह का 1/2 हिस्सा निहित था। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार है। वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से को प्रार्थीगण के दादा बहादुर सिंह ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र द्वारा बैचान किया है जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। दर्शनसिंह को उक्ता आराजी के विक्रय करने का अधिकार नहीं था क्योंकि विक्रय के दौरान वादीगण प्रार्थीगण पैदा हो चुके थे। उक्त विक्रय-पत्र द्वारा किया गया हस्तांतरण प्रारंभ से ही अवैध एवं प्रभावशून्य है। अप्रार्थी पुष्पाबाई ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अप्रार्थी रविन्द्र कुमार को बैचान कर दिया तथा उक्त बैचान के आधार पर वादग्रस्त भूमि में रविन्द्र कुमार का नाम दर्ज हो गया तथा उक्त प्रविष्टी कानूनन अवैध एवं शून्य है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाकर खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण की ओर से जानबूझकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. की सुनवाई के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत स्थगन आदेश जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन से संबंधि है। वादग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. दिसंबर 2004 पेज 749 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर वाके ग्राम बडानयागावं तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 241 की संख्या 943, 944, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 953 कुल किता 9 कुल रकबा 2.5900 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के अनुसार

ग्राम बडानयागावं तहसील हिण्डोली की प्रश्नगत खाता संख्या 241 की कुल किता 9 कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि जयदीप पुत्र रविन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्र मांगीराम तथा रीना पत्नि रविन्द्र कुमार की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त भूमि के अपीलांट संख्या 1 जयदीप एवं अपीलांट संख्या 2 रविन्द्र कुमार एवं अप्रार्थी संख्या 9 रीना अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके दादा बहादुर सिंह के पिता दर्शन सिंह की आवंटनशुदा भूमि है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है परन्तु प्रार्थीगण के दादा बहादुर सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से को पुष्पाबाई को बेचान कर दिया है तथा केता पुष्पाबाई गैर अनुसूचित जाति की होने के कारण उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होने से कानूनन अवैध एवं शून्य है। अपीलांटगण का कथन है वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण द्वारा पुष्पाबाई से रजिस्टर्ड विकय–पत्र से खरीद की गई है अतः अपीलांटगण सद्भावी केता है तथा वर्तमान में अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि पुष्पाबाई द्वारा किए गए बेचान से अपीलांटगण अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि खातेदार बहादुर सिंह द्वारा पुष्पाबाई को किया गया हस्तांतरण प्रारंभ से ही अवैध एवं प्रभावशून्य है। अपीलांटगण ने हमारे समक्ष रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 25.05.2012, विकय–पत्र दिनांक 29.05.2014 की फोटोप्रति पेश की है जिनके अवलोकन से अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खरीद किया जाना प्रकट होता है। साथ ही उक्त विकय–पत्रों में केतागण को विकयशुदा भूमि का कब्जा सुपुर्द किए जाने का अंकन है। विकय–पत्रों के आधार पर वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि को रेस्पाडेन्टगण से जर्ये रजिस्टर्ड विकय–पत्र खरीद किए जाने तथा विकय–पत्र के अनुसार काबिज काश्त होने का कथन किया गया है। अतः अपीलांट वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा विकय–पत्र दिनांक 25.05.2012 एवं 29.05.2014 के आधार पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष है। ऐसी स्थिति में अभिलिखित खातेदार अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.08.2024 में अपीलांट की खातेदारी की विवादित भूमि को रहन, बय नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ना तो वादग्रस्त आराजी के खातेदार है और ना ही स्वयं का कब्जा काश्त होने के समर्थन में कोई ठोस

(13)

दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा कथित खातेदार बहादुर सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध मे किए गए हस्तांतरण के वैध अथवा अवैध होने का निर्धारण मूल वाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत ही किया जाना संभव है अतः वर्तमान स्तर पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु तीनों महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं– प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति की विवेचना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 18.07.2024 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 61/2024 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 निरस्त किया जाता है।

9. पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

25/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा